रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229892
CG-DL-E-23092021-229892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3602] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31 , 1943
No. 3602] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

का.आ. 3926(अ).— पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा पशुजन्य पेट फूड उत्पादों का (भारत में आयात), आदेश, 2008 के अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई और किए जाने के लिए लोप की गई संबंधित बातों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत में आयात किए गए कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों (पशुजन्य सामग्री सहित) के लिए पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अपेक्षाओं को अधिसूचित करती है, अर्थात्,-

1. सामान्य शर्तें- कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों की खेपों के आयात में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) खुदरा बिक्री के लिए कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों की खेपों का आयात जिसमें भेड़ (ओवाईन) बकरा, सूअर, कुक्कुट, मछली के मांस से ली गई कच्ची सामग्री, अंडों और अंडों के उत्पाद एक अवयव के रूप में शामिल होते हैं और जो खुदरा बिक्री के लिए रखे गए कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों से संबंधित आईटीसी-एचएस कोड 23091000 के

अंतर्गत आते हैं, को का.अ.संख्याक 2666 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2014 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ii) कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों की आयतित खेप के साथ निम्नलिखित घोषणाएं और दस्तावेज भी दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्ररूप-। में निर्धारित किए गए अनुसार एक ही विमान, रेलवे बैगन, लॉरी और समुद्री जहाज में एक ही गन्तव्य स्थान के लिए भेजे गए कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों की प्रत्येक खेप के लिए एक अलग पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लगाया जाएगा और जिस खेप में एक से अधिक कन्टेनर हों तो प्रमाणपत्र में बैज नम्बरों के साथ-साथ कन्टेनर नम्बर भी शामिल होगा;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र खेप के साथ तब तक संलग्न रहेगा जब तक यह भारत में सीमा निरीक्षण चौकी तक नहीं पहुंच जाती है;

(iii) निर्माता की ओर से एक घोषणा प्रत्येक कंटेनर पर निम्नलिखित विवरण के साथ चिपकाई जाएगी, अर्थात्: –

(क) बूचड़खानों तक स्रोत पशु (जानवरों की प्रजातियों का नाम) का पता लगाने की क्षमता (ट्रेसबिलिटी) रिकार्ड को बनाए रखा गया गया है जहां से वसा युक्त मांस और पशु प्रोटीन संसोधित किए गए थे;

(ख) कि जिस उत्पाद कि लिए घोषणा लागू होती है पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में उस उत्पाद का बैच नम्बर दिया गया है;

(ग) कि कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों में गोमांस की वसा शामिल नहीं है या गोमांस से उत्पन्न गोमांस का स्वाद नहीं है या गाय या उसकी सन्तति के वध से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के ऊतक शामिल नहीं हैं, क्योंकि भारत में किसी भी रूप में गोमांस के आयात पर प्रतिबंध है;

(घ) कि कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों को जानवरों और समुद्री उत्पादों के मांस का उपयोग करके निर्मित नहीं किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निषिद्ध है;

(ङ) यदि घोषणा के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो विनिर्माण संयंत्र का भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापन या निरीक्षण किया जा सकता है।

टिप्पणः

(i) घोषणा के प्रत्येक शिपमेंट की विदेशी बंदरगाह में कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के लदान से पहले प्रत्येक खेप के लिए पूरा किया जाएगा और मास्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र की वैधता इंगित की जाएगी;

(ii) खेप को भारत में सील लगाए बिना कंटेनर में या कंटेनर में टूटी सील के साथ या जोखिम सामग्री के साथ संदूषण के प्रमाण के साथ या अपर्याप्त प्रमाणीकरण के साथ आने की स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. **आयात के बाद सीमा निकासी अपेक्षाएः आयात के बाद की सीमा निकाली अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी:-**

(i) भारत में आने पर, सीमाशुल्क अधिकारी पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं को खेप का उल्लेख करेगा और प्रवेश के बंदरगाह पर क्षेत्रीय या संगरोध अधिकारी कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों की खेप जारी करने के लिए अपनी सिफारिश करने से पहले निम्नलिखित का सत्यापन करेगाः-

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता आयात परमिट की वैध प्रतिलिपि;

(ख) निर्यात करने वाले देश के अधिकारिक पशुचिकित्सक द्वारा जारी किए गए प्ररूप-। में दिए गए पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि;

(ii) सत्यापन के बाद, यदि आवश्यक हो, तो सीमा अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी या संगरोध अधिकारी के निर्देश के अनुसार प्ररूप-। में पैरा II के खंड (iv) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूक्ष्म जीवविज्ञान मानदंडों के लिए सामग्री के परीक्षण करने के लिए यादृच्छिक नमूने लिए जाएंगे।

(iii) दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन के बाद क्षेत्रीय अधिकारी या संगरोध अधिकारी आयातक से निम्नलिखित घोषणा लेने के बाद खेप जारी करेंगे, अर्थात्:-

(क) कि आयतित उत्पाद के कुत्तों और बिल्लियों को खिलाने के अलावा पशु खाद्य श्रृंखला में शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है;

(ख) कि जिस उत्पाद को छोड़ दिया गया है उसका ठीक से निपटान किया जाएगा;

(ग) कि उत्पादों पर लेबल स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में लगाए जाएंगे।

3. शर्तों में ढील देने के लिए केंद्र सरकार की शक्तिः- केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक हित में, भारत में, पशुजन्य कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के आयात के संबंध में, परमिट से संबंधित इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट शर्तों में से किसी में भी ढील दे सकती है।

4. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

प्ररूप-I

(देखें पैरा 2.(i) (ख)

भारत में कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के आयात के लिए पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

I. आयात के लिए सामान्य सूचना

1. प्रेषक (कंसाइनर का पूरा नाम और पता) i. नाम ii. पता iii. संपर्क नं. iv. ईमेल	**2.** स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या तारीख
3. परेषिती (खेप प्राप्त करने वाले का पूरा नाम और पता i. नाम ii. पता iii. संपर्क नं. iv. ईमेल	**4.** मूल देश i. नाम ii. पता iii. संपर्क नं. iv. ईमेल
5. जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी i. मंत्रालय ii. विभाग	**6.** लदान का स्थान i. नाम ii. पता iii. संपर्क नं. iv. ईमेल

7. मात्रा (शब्दों और आंकड़ों में) i. पैकों की संख्या ii. निवल वजन	**8.** खेप की पहचान का विवरण उत्पाद (उत्पादों) के बैच नंबर
9. कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के विनिर्माण संयंत्र का पता	**10.** गन्तव्य देश अंतिम गन्तव्य (नाम और पता)
11. विनिर्माण करने वाले संयंत्र का पंजीकरण या प्रत्यायन अधिकृत संख्या (संख्या/तारीख/मान्यता)	**12.** यातायात का साधन
13. पंजीकरण या प्रत्यायन या अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं पता	**14.** स्वच्छता आयात परमिट सं. तारीख और वैधता

II. स्वच्छता जानकारी

अधोहस्ताक्षरी पशुचिकित्सक प्रमाणित करता है कि कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों का वर्णन इस प्रकार हैः

(I) निम्न से उत्पन्न होता हैः-

(i) स्वस्थ कुक्कुट के मांस अथवा मांस उत्पाद;

(ii) स्वस्थ मेमने, भेड़, बकरी और सूअर के मांस अथवा मांस उत्पाद;

(iii) मछली अथवा मछली के उत्पाद

(कृपया उचित रूप से टिक करें)।

(II) पशुओं के मांस अथवा मांस उत्पादों से उत्पन्न होता है और निम्न का पालन करता हैः

(i) स्रोत पशु जिसकी मृत्यु-पूर्व तथा मृत्यु-पश्चात् जांच हुई है;

(ii) मांस स्वस्थ पशुओं से प्राप्त किया गया है।

(III) निम्नलिखित के अलावा, वह जिसे इंटरनेशनल डेस एपीजूटीस कार्यालय द्वारा परिभाषित जुगाली करने वाले पशुमूल से विशिष्ट जोखिम पदार्थ का कोई अवयव नहीं के साथ शामिल किया गया है (अर्थात् कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों में):

(क) दुग्ध या दुग्ध उत्पाद;

(ख) भेड़ जैसे अथवा बकरे जैसे मूल का प्रोटीन मुक्त चर्बी; तथा

(ग) यदि कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों में भेड़ जैसे या बकरे जैसे पदार्थ या अवयव शामिल हैं, जो कि रोगों के ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी समूह से मुक्त देशों से आयात किया जाना है और निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी,-

(i) भेड़ जैसे और बकरे जैसे अवयवों की उत्पत्ति का ब्यौरा;

(ii) प्रमाण पत्र संख्या;

(iii) मूल देश;

(iv) अवयवों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाला पशु स्वास्थ्य प्राधिकारी का नाम;

(v) प्रमाणपत्र को पृष्ठांकन करने की तिथि।

(घ) कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित तापोपचार में से किसी एक पर प्रसंस्कृत किया गया है,-

(i) अंतिम उत्पाद को अपने पदार्थ के माध्यम से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर; अथवा

(ii) 1 सेकंड के लिए अपने पशुमूल सामग्री के 90 डिग्री सेंटीग्रेट पर तापोपचार के तहत; अथवा

(iii) 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड; अथवा

(iv) 9 मिनट के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड; अथवा

(v) 3.0 से कम नहीं एफओ मान प्राप्त करने के लिए एक तापमान पर संसाधित किया गया है; अथवा

(vi) 3.0 से कम नहीं एफसी मान प्राप्त करने के लिए एक तापमान पर संसाधित किया गया है।

(IV) भारत में कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के वास्तविक प्रेषण से पहले, उत्पाद की जांच प्रसंस्करण संयंत्र में भंडारण के दौरान या बाद में किए गए प्रत्येक संसाधित बैच से कम से कम पांच नमूनों के यादृच्छिक नमूने द्वारा की गई थी और परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि,-

(i) फैकलटेटिव एरोबिक सूक्ष्म जीव 5×103 प्रति ग्राम या प्रति मि.ली. नमूने से कम है;

(ii) 25 ग्रा. अथवा 25 मि.ली. नमूने में कोई साल्मोनेल्ला नहीं,

(iii) सल्फाइट रिड्यूस्ड क्लोस्ट्रिडियम प्रति ग्राम अथवा मि.ली. नमूने का 5×103 से अधिक नहीं था (डिब्बाबंद और नम भोजन के मामले में);

(iv) निर्जलित उत्पादों में पानी की गतिविधि 0.93 से अधिक नहीं होनी चाहिए या ऊपर बताए गए सूक्ष्मजीवविज्ञानी विकास को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुखाया जाना चाहिए (सूखे भोजन के मामले में);

(V) से उत्पादन नहीं हुआ था:-

(क) कृषि उत्पादन के लिए रखे गए पशु जो मरे हुए एवं पैदा न हुए पशुओं सहित तथा कल्याण के कारणों, फार्म पशुओं उनकी मौत ट्रांजिट में हो गई है, के आपात वध के पूर्वाग्रह के बिना मारे गए परन्तु इनका वध नहीं किया गया था;

(ख) पशु जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो निश्चित फार्म पर अथवा किसी जगह रोग नियंत्रण पैमानों के संदर्भ में मारा गया था;

(ग) पशुओं से उत्पन्न खून सहित पशु अपशिष्ट जो वध के समय, मानव अथवा पशुओं में फैलने वाले रोग के क्लीनिकल लक्षण आदि के लिए किये जा रहे पशुचिकित्सा निरीक्षण के दौरान दर्शाता है;

(घ) खाल, चर्म, खुर, पंख, ऊन, सींग, खून एवं एक जैसे उत्पादों के साथ पशुओं के वे भाग जिनका वध सामान्य तरीके से हुआ था तथा जिन्हें मृत्यु पश्चात् निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था;

(ङ.) मीट, कुक्कुट मीट, मछली तथा पशुमूल के खाद्य पदार्थ जिन्हें बर्बाद किया गया था;

(च) कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों का उत्पादन स्वच्छ परिस्थितियों में किया गया है और इसमें की हानिकारक पदार्थ नहीं है;

(छ) एक संक्रमण रोग के क्लीनिकल लक्षणों के कारण मछली अथवा ओफल मछली जिसे मानव उपभोग से अलग रखा गया था;

(ज) पशुओं के मांस का उपयोग करने से उत्पन्न नहीं हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत के संघ के क्षेत्र में किसी अन्य कानून द्वारा निषिद्ध है;

(झ) उच्च जोखिम पदार्थ से प्राप्त प्रसंस्कृत पशु प्रोटीन।

(VI) उपचार और/अथवा प्रसंस्करण के बाद पैथोजेनिक एजेंटों के साथ पुनः प्रदूषण को दूर रखने के लिए सभी सावधानियों को ध्यान में रखा गया था;

(VII) नए पैकिंग सामग्री में पैक किया गया था;

(VIII) कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों के कंटेनरों को ठीक से सील कर दिया जाता है।

तारीख: .... हस्ताक्षर

कार्यालय मुद्रा **सरकारी पशुचिकित्सा अधिकारी**

नाम.........................

पता.........................

[फा.सं.एल-110109(4)/4/2017-व्यापार (ई -3212]

गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

S.O. 3926(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), and in supersession of the Pet Food Products of Animal Origin (Import into India) Order, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the veterinary health certificate requirements for dog and cat food products (containing animal origin material) imported into India as follows, namely,-

1. **General Conditions.-** The import of consignments of dog and cat food products shall comply with the following conditions, namely:-

(i) the import of consignments of dog and cat food products for retail sale containing raw-materials sourced from meat of ovine, caprine, swine, poultry fish, egg and egg products as one of the ingredients as such covered under the ITC-HS Code 23091000 relating to dog and cat food products put up for retail sale shall be regulated as per the conditions laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture published *vide* number S.O. 2666 (E) dated the 17th October, 2014.

(ii) the imported consignment of the dog and cat food products shall be accompanied with the following declarations and documents, namely:-

(a) a separate veterinary health certificate as prescribed in Form-I annexed to this notification shall be accompanied with each consignment of dog and cat food products transported in the same aircraft, railway wagon, lorry or ship for the same destination and where the consignment contains more than one container, the certificate shall include the container number along with batch numbers;

(b) the certificate referred to in clause (a) shall accompany the consignment until it reaches the border inspection post in India;

(iii) a declaration from the manufacturer shall be pasted on each container with following details, namely:-

(a) that the traceability records of the source animal (name of animal species) up to slaughter houses has been maintained from where the meat, rendered fats and animal protein were processed;

(b) that the veterinary health certificate bears the batch number of the product, to which this declaration applies;

(c) that the dog and cat food products does not contain beef or beef tallow or beef flavor originated from beef or any kind of tissue originating from slaughtering of cow and its progeny in any form as import of beef into India is prohibited;

(d) that the dog and cat food products has not been manufactured by using meat of animals and marine products which are prohibited by any Indian or international law for international trade;

(e) that the manufacturing plant shall liable for verification or inspection by the officials of the Government of India, if any, doubt arises in respect of the declaration.

Note:

(i) the declaration shall be completed for each consignment prior to loading of dog and cat food products in the foreign port of shipment and validity of the certificate shall be indicated referring the date of expiry;

(ii) the consignment shall not be permitted into India in the event of the same arriving in the country either in an unsealed container or in a container with broken seal or with evidence of contamination with risk material or with inadequate certification.

2. Post –import border clearance requirements.- The post-import border clearance requirements shall be as under:-

(i) on arrival into India, the Custom officer shall refer the consignment to the Animal Quarantine and Certification Services and the Regional or Quarantine Officer at the port of entry shall verify the following before his recommendation for release of the consignment of dog and cat food products, namely:-

(a) a valid copy of the Sanitary Import Permit issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India;

(b) Veterinary Health Certificate as in Form-I, in original or certified copy, issued by the official veterinarian of the exporting country;

(ii) after verification, if necessary, random samples shall be drawn by the Custom officer as per the instruction of the Regional Officer or Quarantine Officer for testing of the materials for microbiological criteria as specified in clause (iv) of paragraph II in Form-I.

(iii) after satisfactory verification of the documents, the Regional Officer or Quarantine Officer shall release the consignment after taking the following declaration from the importer, namely:-

(a) that the imported product shall not find way into animal food chain other than for feeding of dogs and cats;

(b) that left over product shall be disposed of properly;

(c) that the labeling of the products shall be done in local or regional language.

3. **Power of Central Government to relax conditions** – The Central Government may, in public interest, relax any of the conditions specified under this notification relating to the permit in relation to the import of dog and cat food products of animal origin into India.

4. The notification shall come into force on the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Form-I

[See paragraph 2.(i)(b)]

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT OF DOG AND CAT FOOD PRODUCTS INTO INDIA

I. GENERAL INFORMATION FOR IMPORTATION

1. Consignor (name and address in full) (i) Name (ii) Address (iii) Contact No. (iv) email	2. Health certificate No. Date
3.Consignee (name and address in full) (i) Name (ii) Address (iii) Contact No. (iv) email	4. Country of origin (i) Name (ii) Address (iii) Contact No. (iv) email
5. Issuing Competent Authority (i) Ministry (ii) Department	6. Place of loading (i) Name (ii) Address (iii) Contact No. (iv) email
7. Quantity (in words and figures) (i) Number of packs (ii) Net weight	8. Consignment identification details Batch numbers of the product(s)
9. Address of dog and cat food products manufacturing plant	10. Destination country Final destination (name and address)
11. Registration or Accreditation or Approval number of the manufacturing plant (Number or Date or Validity)	12. Mode of Transport
13. Name and address of the Registration or Accreditation or Approving authority	14. Sanitary Import Permit No. Date and Validity

II. SANITARY INFORMATION

The undersigned official veterinarian certifies that the dog and cat food products described that:

(i) originates from:

(i) meat or meat products of healthy poultry;

(ii) meat or meat products of healthy lamb, sheep, goat and pig;

(iii) fish and fish products

(please tick appropriately).

(ii) originates from meat or meat products of animals and complies the following:

(i) the sourced animals have undergone ante-mortem and post-mortem examinations;

(ii) the meat has been obtained from healthy animals.

(iii) is the one with no ingredients of specific risk materials from ruminant origin as defined by Office International des Epizooties have been incorporated (in the dog and cat food products of ruminant origin), except for the following, namely:

(a) milk or milk products;

(b) protein-free tallow of ovine or caprine origin; and

(c) if the ovine or caprine materials or ingredients are included in the dog and cat food products that has to be imported from countries free from Transmissible Spongiform Encephalopathy group of diseases and the following information shall be provided,-

(i) details of origin of ovine and caprine ingredients;

(ii) certificate number;

(iii) country of origin;

(iv) name of Animal Health Authority issuing Certificate for ingredients; and

(v) date of endorsement of the Certificate.

(d) the dog and cat food products has been processed in any of the following heat treatment,-

(i) at ninety degree centigrade throughout its substance of the final product; or

(ii) under gone heat treatment at ninety degree centigrade of its animal origin materials for one second; or

(iii) seventy degree centigrade for thirty minutes; or

(iv) eighty degrees centigrade for nine minutes; or

(v) have been processed at a temperature to attain Fo value not less than 3.0; or

(vi) have been processed at a temperature to attain F_c value not less than 3.0.

(iv) before actual dispatch of dog and cat food products into India the product was examined by a random sampling of at least five samples from each processed batch taken during or after storage at the processing plant, and test results shows that,-

(i) facultative aerobic micro-organisms are less than $5x10^3$ per gram or per milliliter of sample;

(ii) no Salmonella in twenty five gram or twenty five ml of sample,

(iii) sulphite reduced clostridium per gram or per milliliter of sample was not more than $5x10^3$ (in case of canned and moist food);

(iv) activity of water in dehydrated products must not be higher than 0.93 or adequately dried to prevent microbiological growth mentioned above (in case of dry food);

(v) was not produced from,-

(a) animals kept for agricultural production, which died but were not slaughtered, including stillborn and unborn animals, and, without prejudice to instances of emergency slaughtering for reasons of welfare, and farm animals that have died in transit;

(b) animals which were killed in the context of disease control measures either on the farm or in any other place designated by the competent authority;

(c) animal waste, including blood originating from animals which showed, during veterinary inspection carried out at the time of slaughtering, clinical signs of disease communicable to man or other animals;

(d) those parts of animals slaughtered in the normal way which were not presented for post mortem inspection, with the exception of hides, skins, hooves, feathers, wool, horn, blood and similar products;

(e) meat, poultry meat, fish and foodstuffs of animal origin which were spoiled;

(f) the dog and cat food products has been produced in sanitary conditions and contains no harmful substances;

(g) fish or offal from fish which was excluded from human consumption because of clinical signs of an infectious disease;

(h) was not produced from using meat of animals which are prohibited by any other law in the territory of Union of India for international trade;

(i) processed animal protein derived from high risk material.

(vi) has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment;

(vii) was packed in a new packaging material;

(viii) the containers of dog and cat food products are sealed properly.

Signature ....

Date ......

Official Stamp

Official Government Veterinarian

Name: ....
Address: ....

[F.No. L-110109(4)/4/2017-Trade (E-3212)**]**

GIRJA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.23 16:05:02 +05'30'